अध्याय–VI
अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

(अ) मनोरंजन कर विभाग

6.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मनोरंजन कर आरोपित एवं वसूल होती हैं। यह किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर समय–समय पर निर्दिष्ट दर से आरोपणीय होता हैं।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व आयुक्त, मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश का होता है जिनकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उप आयुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। प्रदेश में जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी नियन्त्रण अधिकारी होता है, जो मनोरंजन के संचालन, मनोरंजन कर के आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण मनोरंजन कर निरीक्षकों की सहायता से तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के माध्यम से करते है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 में मनोरंजन कर विभाग ने ₹ 498.40 करोड़ राजस्व वसूल किया। वर्ष 2014–15 के दौरान मनोरंजन कर विभाग की कुल 72 इकाइयों में से 18 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 42 प्रकरणों में ₹ 31.51 करोड़ के कर एवं ब्याज के न/कम आरोपण व अन्य अनियमिततायें प्रकाश में आयी जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि सारणी 6.1 में इंगित किये गये हैं।

सारणी 6.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	धनराशि
1.	''मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट–टू–होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण'' विषयक बृहद् आलेख प्रस्तर	1	30.92
2.	ब्याज का प्रभारित न किया जाना	4	0.02
3.	कर की वसूली न किया जाना	14	0.25
4.	अन्य अनियमिततायें	23	0.32
योग		**42**	**31.51**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें

वर्ष के दौरान, विभाग ने 57 प्रकरणों में ₹ 63.29 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 53 प्रकरणों में ₹ 62.02 लाख की धनराशि वसूल हुयी। शेष प्रकरणों में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

एक आलेख प्रस्तर ''मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट–टू–होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण'' में निहित धनराशि ₹ 30.92 करोड़

एवं ₹ 13.04 लाख के एक निदर्शी प्रकरण की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

6.3 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय एवं 25 जिला मनोरंजन कर कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में डायरेक्ट–टू–होम व डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर के अनारोपण/कम–आरोपण, अनुज्ञापन शुल्क/अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण और ब्याज के अनारोपण के प्रकरण प्रकाश में आये। डायरेक्ट–टू–होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम के संयोजनों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों/विवरणियों के अनुश्रवण हेतु तन्त्र का अभाव एवं आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरी इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.4 मनोरंजन कर विभाग में डायरेक्ट–टू–होम एवं डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण

6.4.1 प्रस्तावना

केबिल सेवा एक ऐसी सेवा हैं जिसमें टेलीविजन संकेत हवा के बजाय केबिल के माध्यम से प्रेषित किया जाता है है। उत्तर प्रदेश शासन ने केबिल टीवी सेवाओं को नियमित करने के लिए ''उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997'' तैयार किया।

केन्द्र सरकार ने टीवी संकेतों के अभिग्रहण को एनालॉग से डिजिटल प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया था। केबिल टीवी प्रणाली का डिजिटलाइजेशन चरणबद्ध रूप में होगा तथा प्रदेश के सात शहरों[1] में यह पूर्ण हो चुका है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 11 नवम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक केबिल संचालक के लिए डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम **(डीएएस)** के माध्यम से कूटबद्ध रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों का प्रसारण या पुनः प्रसारण करना अनिवार्य होगा। डीएएस की सहायता बहुप्रणाली संचालकों **(एमएसओ)** और स्थानीय केबिल संचालकों **(एलसीओ)** द्वारा की जाती है जो केबिल सेवा केबल टीवी नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराते हैं अथवा उस पर नियन्त्रण करते हैं अथवा केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबन्धन व संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

डायरेक्ट–टू–होम **(डीटीएच)** सेवा मूलतः एक डिजिटल उपग्रह सेवा है, जो देश में कहीं भी उपभोक्ता के घर पर सीधे उपग्रहीय टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। इस सेवा में किसी प्रकार के तारों या तार आधारित संरचना का उपयोग अन्तर्निहित नहीं हैं। डीटीएच सेवा के संचालन में टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी **(टीएसआरए)** सहायक होती है, जो टेलीविजन सिग्नल रिसीवर को बिक्रय, किराये पर या विनिमय द्वारा वितरण करने या किसी प्रकार से प्रसारण किया जाये द्वारा उपलब्ध कराती है।

सेट–टाप–बाक्स **(एसटीबी)** दोनों प्रणालियों में आवश्यक होता है, जो टेलीविजन सेट में, उपभोक्ता को भुगतान करने पर अपने पसन्द के कूटबद्ध चैनलों को देखने की अनुमति देने के लिये, जुड़ा होता है।

[1] आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी।

6.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। डीटीएच एवं डीएएस पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र दायित्व एवं नियन्त्रण आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश का है। डीटीएच पर मनोरंजन कर डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा मनोरंजन कर आयुक्तालय में जमा किया जाता है। एसटीबी पर कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण, डीटीएच संयोजनों के आँकड़ों का सत्यापन और टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों (टीएसआरए) को अनुज्ञापन जारी करने का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता है।

6.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या :

- डीटीएच एवं डीएएस पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, परिपत्रों और शासन व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।
- विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र उचित तरीके से एवं दक्षतापूर्वक कार्य कर रहा है।

6.4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

हमने लेखापरीक्षा जुलाई 2014 से जून 2015 के मध्य सम्पादित की। हमने इकाईयों को जिला मनोरंजन कर कार्यालयों (जि0 म0 क0 का0) में राजस्व वसूली के आधार पर उच्च, मध्यम एवं लघु जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया। हमने उच्च जोखिम चिन्हित सभी 12 जि0 म0 क0 का0, मध्यम जोखिम चिन्हित 33 जिलों में से 10 जि0 म0 क0 का0 और लघु जोखिम क्षेत्र चिन्हित शेष 30 जिलों में से तीन जि0 म0 क0 का0 के अभिलेखों की जाँच की।

मनोरंजन कर आयुक्त एवं जि0 म0 क0 का0 के अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को शासन के अनुसचिव तथा अपर आयुक्त, मनोरंजन कर के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2014 को आयोजित प्रारम्भिक विचार गोष्ठी में चर्चा की गयी थी। हमने शासन एवं विभाग के साथ समापन विचार गोष्ठी दिनांक 10 जुलाई 2015 को आयोजित की जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर शासन के विशेष सचिव एवं अपर आयुक्त, मनोरंजन कर के साथ चर्चा की गई। शासन/विभाग का अभिमत प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया हैं।

6.4.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के सन्दर्भ में बृहद् आलेख प्रस्तर सम्पादित किया है :

- उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
- उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979
- उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997
- उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981
- उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 यथा संशोधित 2011

6.4.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु मनोरंजन कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

6.4.7 प्राप्तियों का रुझान

मनोरंजन कर लेखाशीर्ष (0045) के अन्तर्गत, बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के साथ डीटीएच व केबिल टीवी से राजस्व प्राप्तियों को **सारणी 6.2** में दिया गया है:

सारणी 6.2

प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉ	प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियों के सन्दर्भ में)	बजट अनुमान के सापेक्ष कमी/आधिक्य		डी टी एच एवं केबिल टीवी* से प्राप्त राजस्व	वास्तविक राजस्व पर प्रतिशतता
				धनराशि	प्रतिशतता		
2010–11	225.18	245.13	26.68	(+) 19.95	8.86	99.53	40.60
2011–12	285.55	312.45	27.46	(+) 26.90	9.42	143.19	45.83
2012–13	360.00	385.11	23.25	(+) 25.11	6.98	171.04	44.41
2013–14	440.00	469.82	22.00	(+) 29.82	6.78	227.87	48.50
2014–15	560.00	498.40	06.08	(-) 61.60	11.00	267.58	53.69
योग	**1870.73**	**1910.91**	–	–	–	**909.21**	**47.58**

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

* डीएएस के राजस्व सहित,

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करती है कि मनोरंजन कर की प्राप्तियों का 47.58 प्रतिशत डीटीएच व केबिल टीवी से वसूल किया गया और शेष सिनेमा, वीडियो सिनेमा, वीडियो लाइब्रेरी, होटल, प्रदर्शनी, दौड़ और मनोरंजन पार्क इत्यादि से वसूल किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम (डीएएस)

6.4.8 डीएएस के अन्तर्गत स्थानीय चैनलों के संचालन के लिये अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क का न/कम वसूल किया जाना

विभाग ने एमएसओ से स्थानीय चैनलों के संचालन के लिये देय ₹ 12.29 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 2.88 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 9.41 करोड़ राजस्व न/कम वसूल किया गया।

उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 17 (1) के प्रावधान के अन्तर्गत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रकरण में वीडियो सिनेमा, दृश्य माध्यम से प्रदर्शन सहित के लिए अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2,400 प्रति चैनल आरोपणीय है। अग्रेतर, नियम 17 (2) के अनुसार जहाँ कोई इस प्रकार का प्रबन्ध हो कि दृश्य माध्यम से विभिन्न टेलीविजन पर्दों, चलचित्र अथवा चलचित्र पर्दों पर प्रदर्शन दिया जाना हो, वहाँ कथित यंत्र द्वारा आपूरित ऐसे प्रत्येक पर्दे

के लिए जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ₹ 100 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए आरोपणीय होगा।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की अनुज्ञापन शुल्क पंजिका की जाँच की और पाया कि सात जि0 म0 क0 का0 में 2011–12 से 2014–15 की अवधि के मध्य 23 एमएसओ में से 13 पर ₹ 12.29 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क आरोपित किया गया था। विभाग द्वारा केवल ₹ 2.88 करोड़ अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ही वसूल किया गया था तथा शेष ₹ 9.41 करोड़ लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूल नहीं किया गया था। यद्यपि, तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है फिर भी विभाग ने न तो अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क वसूल करने का कोई प्रयास किया एवं न ही अनुज्ञापन निरस्त करने की कोई कार्यवाही की। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.41 करोड़ से वंचित रहा, जैसा कि **परिशिष्ट– XIX** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में शासन ने बताया कि उत्तराखण्ड में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क को अवैधानिक माना गया हैं (दिसम्बर 2014)। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में केबिल संचालकों पर अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। अग्रेतर छः जि0 म0 क0 का0 में हमने पाया कि विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण एवं वसूली की जा रही थी। पाँच प्रकरणों में, जिसमें प्रेक्षण उठाए गये थे, लेखापरीक्षित इकाईयों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को (जनवरी 2015 से जून 2015 के मध्य) स्वीकार किया और वसूली का आश्वासन दिया (नवम्बर 2015)।

शासन एमएसओ पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के समय से आरोपण एवं वसूली किये जाना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

6.4.9 सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का अनारोपण

23 एमएसओ द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के दौरान उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाये गये 5.98 लाख एसटीबी से प्राप्त ₹ 71.76 करोड़ संक्रियण प्रभार पर ₹ 17.94 करोड़ के मनोरंजन कर का आरोपण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25/2009 के द्वारा यथा संशोधित की धारा–3 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश पर किये गये भुगतान पर मनोरंजन कर आरोपणीय होता है। आयुक्त, मनोरंजन कर द्वारा दिनांक 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि एसटीबी का संक्रियण प्रभार भी ''प्रवेश पर भुगतान'' की श्रेणी में आता हैं और इस पर नियमों के अनुसार मनोरंजन कर आरोपणीय है। एसटीबी पर संक्रियण प्रभार की दर इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर के मनोरंजन कर कार्यालयों द्वारा क्रमशः ₹ 1,499, ₹ 1,200 एवं ₹ 1,199 उपलब्ध करायी गयी। अन्य जनपदों में एसटीबी पर संक्रियण प्रभार की दर अभिलेखों में नहीं पायी गयी ।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 में केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और पाया कि 11 जि0 म0 क0 का0 में वर्ष 2012–13 और 2014–15 के मध्य 5.98 लाख एसटीबी लगाये गये थे। फिर भी, विभाग ने एसटीबी के कुल संक्रियण प्रभार ₹ 71.76

करोड़ पर 25 प्रतिशत की दर से 23 एमएसओ पर ₹ 17.94 करोड़ मनोरंजन कर का आरोपण नहीं किया, लेखापरीक्षा द्वारा न्यूनतम संक्रियण प्रभार ₹ 1,199 प्रति एसटीबी की दर से संगणित किया गया है। विवरण **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया है ।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून एवं नवम्बर 2015)। विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर सम्बन्धित जनपदों को कार्यवाही करने एवं वसूली की स्थिति जानने के लिए पत्र निर्गत कर दिया गया है। हमारे प्रेक्षणों के आधार पर 11 में से पाँच जि0 म0 क0 का0 ने अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर के भुगतान के लिए एमएसओ को नोटिस भी जारी कर दिया है। विभाग ने अग्रेतर आश्वस्त किया कि शेष जनपदों से सूचना प्राप्त कर शीघ्र उपलब्ध करा दी जायगी।

शासन सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

6.4.10 केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली

केबिल संचालकों पर ₹ 4.24 करोड़ मनोरंजन कर देय था किन्तु उनके द्वारा मात्र ₹ 3.09 करोड़ ही जमा किया गया और ₹ 1.15 करोड़ अभी वसूल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल टी.वी. स्वामी अपने उपभोक्ताओं से वसूल मनोरंजन कर की धनराशि शासकीय खाते में प्रत्येक माह के अन्तिम दिन से एक सप्ताह के अन्दर जमा करेगा।

- हमने जि0 म0 क0 का0 आगरा के केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि डीएएस प्रणाली में अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के मध्य 57,569 संयोजन संचालित थे, जो कि बढ़कर मार्च 2014 तक 1,49,241 संयोजन हो गये। मार्च 2014 तक ₹ 100 प्रति संयोजन प्रति माह की दर से कुल ₹ 3.56 करोड़ मनोरंजन कर देय था, जिसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 3.05 करोड़ ही जमा किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.09 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली हुई। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 51.09 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

  हमने प्रकरण को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि कार्यवाही जारी है और सम्बन्धित पक्षों के उत्तर प्राप्ति के बाद इसे अन्तिम रूप दिया जायगा (नवम्बर 2015)।

- हमने चयनित जि0 म0 कर का0 के कर संग्रह के विवरण से संबन्धित परिशिष्ट–II पंजिका की जाँच की और देखा कि आठ जि0 म0 क0 का0 में नवम्बर 2009 से मार्च 2015 के मध्य कुल 1,183 में से 96 केबिल संचालकों पर ₹ 68.25 लाख मनोरंजन कर देय था। जिसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 4.06 लाख जमा किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.19 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली की गई। इन सभी प्रकरणों में, तीन माह से छः वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 64.19 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। विवरण **परिशिष्ट–XXI** में दिया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों से वसूली एवं कृत कार्यवाही की सूचना माँगी गयी है। (नवम्बर 2015)

6.4.11 स्थानीय चैनलों पर विज्ञापन कर का न/कम आरोपण

छः एमएसओ पर विज्ञापन कर ₹ 12.50 लाख देय था किन्तु केवल ₹ 4.42 लाख ही वसूल किये गये, परिणामस्वरूप ₹ 8.08 लाख की कम वसूली हुई।

दिनांक 1 मई 2012 से यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 की धारा–3 के प्रावधानों के अन्तर्गत विज्ञापन कर की दर नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के लिए ₹ एक लाख, नगर पालिका परिषद् के लिए ₹ 50,000 तथा अन्य किसी स्थान के लिए ₹ 25,000 प्रति चैनल पुनरीक्षित कर दी गई है। अधिनियम की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति जो भुगतान में असफल रहता है या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी देय कर के भुगतान का अपवंचन करता है, दोषसिद्धि की दशा में, ₹ 5,000 से अनधिक अर्थदण्ड का दायी होगा।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की विज्ञापन कर पंजिका की जाँच की और देखा कि 2012–13 से 2014–15 की अवधि के दौरान तीन जि0 म0 क0 का0 में आठ एमएसओ में से छः पर ₹ 8.08 लाख के विज्ञापन कर का आरोपण नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन्हीं एमएसओ पर ₹ 1.25 लाख शास्ति भी आरोपणीय थी। इस प्रकार शासन विज्ञापन कर एवं अर्थदण्ड के ₹ 9.33 लाख से वंचित रहा, जैसा कि **सारणी 6.3** में दर्शाया गया है:

सारणी 6.3

स्थानीय चैनलों पर विज्ञापन कर का न/कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	इकाईयों का नाम	बहुप्रणाली आपरेटरों की संख्या	वर्ष	चैनलों की संख्या	देय कर ₹ 50,000 प्रति चैनल	किया गया भुगतान	कर का न/कम आरोपण	शास्ति
1	सहा0 आयुक्त, बिजनौर	1	2014–15	1	0.50	0	0.50	0.05
2	सहा0 आयुक्त, मथुरा	2	2012–13 से 2014–15	9	4.50	1.50	3.00	0.45
3	सहा0 आयुक्त, मुजफ्फरनगर	3	2013–14 से 2014–15	15	7.50	2.92	4.58	0.75
	योग	**6**	**2012–13 से 2014–15**	**25**	**12.50**	**4.42**	**8.08**	**1.25**

स्रोत : लेखापरीक्षा के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि मुजफ्फरनगर में ₹ 4.58 लाख के वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये तथा बिजनौर में ₹ 50,000 के लिये नोटिस जारी की गई थी। शेष प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी (नवम्बर 2015)।

विभाग ने ₹ 1.25 लाख अर्थदण्ड के अनारोपण के सम्बन्ध में बताया कि यह माननीय न्यायालय के अधिकार में है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि जि0 म0 क0 का0 ने प्रकरणों में दोषसिद्धि हेतु वाद दायर नहीं किया था।

6.4.12 स्थानीय केबल संचालकों द्वारा प्रतिभूति जमा न किया जाना

विभाग ने 1,453 केबिल संचालकों को बिना प्रतिभूति की राशि ₹ 29.06 लाख जमा कराये केबिल टीवी का संचालन की अनुमति प्रदान की।

उ0प्र0 केबिल टीवी नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 12 के अनुसार, जिलाधिकारी केबिल टेलीविजन के स्वामी द्वारा डाकघर बचत बैंक में जमा किये जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि निर्धारित करेगा जो तीन माह के औसत कर या ₹ दो हजार, जो भी अधिक हो से कम न होगी।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की प्रतिभूति पंजिका की जाँच की और देखा कि 13 जि0 म0 क0 का0 में 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान 1,793 केबिल संचालकों में से 1,453 द्वारा प्रतिभूति की धनराशि ₹ 29.06 लाख जमा नहीं की गयी थी। फिर भी, विभाग ने इन एलसीओ को आवश्यक प्रतिभूति जमा किये बिना केबिल टीवी संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी। विभाग की शिथिलता के कारण, नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है (नवम्बर 2015)।

6.4.13 केबिल संचालकों पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 16.32 लाख न तो प्रभारित किया गया एवं न ही वसूली की गई।

उ0प्र0 केबिल टीवी नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल संचालकों द्वारा कर के विलम्बित भुगतान पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य है।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 में केबिल संचालकों की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि 13 जि0 म0 क0 का0 में नवम्बर 1997 से फरवरी 2015 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 1.59 करोड़ मनोरंजन कर फरवरी 2011 से मार्च 2015 के दौरान एक दिन से सात वर्ष 10 माह तक के विलम्ब से जमा की गई थी। फिर भी, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 16.32 लाख ब्याज न तो प्रभारित किया गया एवं न ही वसूल किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट–XXII** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित जनपदों से अद्यतन सूचना माँगी गयी है (नवम्बर 2015)।

डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच)

6.4.14 डीटीएच के प्रकरणों में शासकीय आदेशों का अनुपालन न किया जाना

विभाग डीटीएच संयोजनों के व्यापक सर्वेक्षण/सत्यापन कराने और डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से एकत्र धनराशि का विवरण पत्र/विवरणी प्रस्तुतीकरण लागू करवाने में असफल रहा, और इसलिये डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर की सही धनराशि के आरोपण के लिए वास्तविक धनराशि का आगणन नहीं किया जा सका।

जनपदों में संचालित डीटीएच सेवाओं पर भुगतान योग्य मनोरंजन कर के नियमित एवं उचित वसूली सुनिश्चित किये जाने के क्रम में, दिनांक 12 जुलाई 2009 को विभिन्न डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी संयोजनों की संख्या का सर्वेक्षण करने और नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय मनोरंजन कर की वसूली किये जाने हेतु परिपत्र निर्गत किया गया था।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय एवं 25 जि0 म0 क0 का0 में डीटीएच सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के मध्य केवल 13 जि0 म0 क0 का0 ने प्रत्येक सेवाप्रदाताओं के 50 संयोजनों का यादृच्छिक सर्वेक्षण किया, जो कि बहुत ही छोटा प्रतिदर्श था। आठ जनपदों में सम्पन्न रिलायन्स बिग टीवी के संयोजनों के नमूना सर्वेक्षण में घोषित संयोजनों संख्या से अधिक संयोजन पाये गये और प्रत्येक जनपदों में आयुक्त द्वारा ₹ 15,000 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। यह दर्शाता है कि आँकड़ों में विसंगति है जो आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से संशोधित की जा सकती थी, किन्तु जनवरी 2015 में आयुक्त द्वारा जि0 म0 क0 का0 को डीटीएच संयोजनों का विवरण परिप्रेषित किये जाने पर भी कोई सर्वेक्षण सम्पादित नहीं किया गया।

अग्रेतर, हमने पाया कि डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं पर सही मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण नहीं कर सका।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी (जुलाई 2015) के दौरान विभाग ने स्वीकार किया कि भौतिक सर्वेक्षण के लिए एक कार्य योजना तथा प्रायोगिक अध्ययन कुछ चयनित आदर्श जनपदों में किया जायेगा। विभाग ने आश्वस्त किया कि सही संख्या, जिन पर मनोरंजन कर का आरोपण किया जाना है, संकलित की जायेगी।

शासन डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर के सही आरोपण एवं आयुक्त द्वारा यथानिर्देशित आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से इन संयोजनों का समुचित सत्यापन सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

6.4.15 टेलीवीजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी (टीएसआरए)

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3) की धारा–4, उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 12, 16, व 18 (2) एवं उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी के अतिरिक्त जैसा कि **सारणी 6.4** के कॉलम III में विनिर्दिष्ट दर पर, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, स्थानीय क्षेत्र में शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय

वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए टीएसआरए संचालन हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

सारणी 6.4

अनुज्ञापन शुल्क की दर

कॉलम I (स्थानीय क्षेत्र)	**कॉलम II (वीडियो लाइब्रेरी के लिए अनुज्ञापन शुल्क)**	**कॉलम III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी के लिए अनुज्ञापन शुल्क)**
(अ) नगर निगम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा	₹ पाँच हजार	₹ दस हजार
(ब) नगर पालिका परिषद्	₹ तीन हजार	₹ छः हजार पाँच सौ
(स) टाउन एरिया/अन्य स्थान	₹ एक हजार पाँच सौ	₹ तीन हजार

6.4.15.1 अनुज्ञापन शुल्क का अनारोपण

वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिये 207 टीएसआरए पर ₹ 46.98 लाख अनुज्ञापन शुल्क का न तो निर्धारण हुआ एवं न ही आरोपण किया गया।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की अनुज्ञापन पंजिका की जाँच की और देखा कि 13 जि0 म0 क0 का0 में 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान सम्बन्धित जनपदों में नमूना जाँच किये 285 में से 207 टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क का नियमानुसार निर्धारण एवं आरोपण नहीं किया गया था। विभाग की आ0ले0प0शा0 द्वारा भी ऐसी ही आपत्ति उठाई थी, जो प्रदर्शित करता है कि विभाग अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण हेतु गंभीर नहीं था। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 46.98 लाख से वंचित रहा।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी (जुलाई 2015) के दौरान, विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय कार्यालयों से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा (नवम्बर 2015)।

6.4.15.2 बैंक गारण्टी का प्रस्तुत न किया जाना

विभाग ने 280 टीएसआरए को बिना ₹ 70.00 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये एजेन्सी संचालन की अनुमति प्रदान की। नियमानुसार प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी प्रस्तुत की जानी थी।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की प्रतिभूति पंजिका की जाँच की और देखा कि 18 जि0 म0 क0 का0 में 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान 285 में से 280 टीएसआरए ने ₹ 70.00 लाख बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं की थी। यह विभाग की ओर से एक बड़ी चूक थी, क्योंकि प्रावधान के अनुसार अनुज्ञापन स्वीकृत या नवीनीकरण करने से पूर्व विभाग को बैंक गारण्टी प्राप्त करनी चाहिए थी। विभाग ने अपेक्षित बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये बिना इन टीएसआरए के संचालन की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, विभाग की शिथिलता के कारण नियमों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। समापन विचार गोष्ठी के दौरान, विभाग ने बताया कि बैंक गारण्टी का प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं था तथा दिनांक 10 अप्रैल 2015 को नियमावली, 1988 से इस व्यवस्था को समाप्त किये जाने हेतु शासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह प्रावधान अभी तक विद्यमान है (नवम्बर 2015)।

6.4.16 डीटीएच सेवा प्रदाताओं पर मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 29.13 लाख का न तो प्रभारण हुआ एवं न ही वसूली की गयी।

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 34क के अनुसार यदि अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अन्तर्गत देय कर इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली में भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी मनोरंजन के स्वामी द्वारा भुगतान किये जाने से शेष रह जाता है, तो कर की भुगतान न की गयी राशि पर तीन माह तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से और तत्पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज उस दिनांक के व्यतीत होने से, जब वह देय और भुगतान किये जाने योग्य हुआ हो, आगणित किया जायेगा।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय में डीटीएच सेवा प्रदाताओं की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि सितम्बर 2013 से अप्रैल 2015 की अवधि का ₹ 95.14 करोड़ मनोरंजन कर की राशि एक दिन से 28 दिन तक के विलम्ब से जमा की गई थी। फिर भी, विभाग द्वारा विलम्बित भुगतान पर ₹ 29.13 लाख का ब्याज न तो प्रभारित किया गया एवं न ही उसकी वसूली की गई, जैसा कि **परिशिष्ट–XXIII** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया और वसूली का आश्वासन दिया (नवम्बर 2015)।

6.4.17 निर्गत वसूली प्रमाण–पत्रों के विरुद्ध मनोरंजन कर की वसूली

₹ 49.48 लाख के वसूली प्रमाण–पत्रों को निर्गत किया गया जिसके विरुद्ध केवल ₹ 8.73 लाख की वसूली की गई थी। मनोरंजन कर ₹ 40.75 लाख वसूली के लिए अभी तक लम्बित है।

उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 34 के अनुसार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर के मद में देय कोई राशि, तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार के पास उपलब्ध वसूली के किसी अन्य तरीके पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली योग्य होगी।

हमने चयनित जि0 म0 क0 का0 की आर0 सी0 पंजिका की जाँच की और देखा कि छः जि0 म0 क0 का0 में मार्च 2003 से दिसम्बर 2013 की अवधि के मध्य से सम्बन्धित बकाया धनराशि ₹ 49.48 लाख के विरुद्ध 64 वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये थे। इसके विरुद्ध लेखापरीक्षा की तिथि तक केवल ₹ 8.73 लाख वसूल किये गये थे। शेष बकाया राशि ₹ 40.75 लाख जो भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य थी, दो से 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अभी तक वसूली हेतु लम्बित है, जैसा कि **सारणी 6.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5

निर्गत वसूली प्रमाण–पत्रों के विरुद्ध मनोरंजन कर की वसूली

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रकरणों की संख्या	बकाया कर की अवधि	वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अवधि	वसूली प्रमाण पत्रों में निहित मनोरंजन कर की धनराशि	वसूल धनराशि	वसूली हेतु लम्बित धनराशि
1	आगरा	8	मई 2007 से मार्च 2013	दिसम्बर 2011 से फरवरी 2014	12.94	0.54	12.40
2	इलाहाबाद	2	जून 2003 से मई 2004	जुलाई 2004 से अगस्त 2004	0.92	0	0.92
3	गौतम बुद्ध नगर	5	फरवरी 2012 से दिसम्बर 2013	जुलाई 2013 से फरवरी 2014	5.20	0	5.20
4	गाजियाबाद	8	मार्च 2003 से अक्टूबर 2012	अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2013	9.96	3.16	6.80
5	कानपुर नगर	2	जनवरी 2004 से अप्रैल 2007	जुलाई 2006 से मई 2007	6.76	0	6.76
6	मुजफ्फरनगर	39	अप्रैल 2003 से मई 2013	मई 2008 से जुलाई 2013	13.70	5.03	8.67
	योग	**64**	**मार्च 2003 से दिसम्बर 2013**	**जुलाई 2004 से फरवरी 2014**	**49.48**	**8.73**	**40.75**

स्रोत : लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित सूचना।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि जनपदीय अधिकारियों को प्रभावपूर्ण तरीके से वसूली किये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं (नवम्बर 2015)।

6.4.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं सुनिश्चित कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ भली भाँति कार्य कर रही है और इसे वित्त नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1974 में की गयी थी।

आ0ले0प0शा0 में, एक वित नियन्त्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित नियन्त्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.6

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010–11	73	27	22	5	18.52
2011–12	76	35	32	3	8.57
2012–13	76	36	27	9	25.00
2013–14	76	32	20	12	37.50
2014–15	76	34	19	15	44.12

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आ0ले0प0शा0 में पर्याप्त मानवशक्ति होने के बावजूद लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी, जैसा कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कमी 8.57 प्रतिशत से 44.12 प्रतिशत तक थी।

हमने आयुक्त, मनोरंजन कर कार्यालय में आ0ले0प0शा0 की पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत धनराशि डीटीएच एवं केबिल सेवा से एकत्र होता है। फिर भी, वर्ष 2013–14 से पूर्व आ0ले0प0शा0 द्वारा डीटीएच एवं केबिल सेवा पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। आ0ले0प0शा0 द्वारा अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के मध्य 23 जनपदीय कार्यालयों में डीएएस के अन्तर्गत संयोजनों की वृद्धि पर मनोरंजन कर का जमा न किया जाना विषयक केवल एक आपत्ति तथा 22 आपत्तियाँ टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क न जमा किये जाने से सम्बन्धित थीं। विभाग द्वारा केवल चार प्रकरणों में वसूली की गई है।

शासन यह सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अपने कार्य को नियमित तथा प्रभावशाली रूप से करती है।

6.4.19 निष्कर्ष

डिजिटल एड्रेशेबुल सिस्टम (डीएएस) के सन्दर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि :

- विभाग बहुप्रणाली संचालकों से अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.41 करोड़ की वसूली में असफल रहा।

  संस्तुतिः शासन बहुप्रणाली संचालकों पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क के समय से आरोपण एवं वसूली किये जाना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है।

- विभाग सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार की वास्तविक धनराशि का निर्धारण नहीं कर सका, जिसके कारण सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार पर देय मनोरंजन कर ₹ 17.94 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

  संस्तुतिः शासन सेट–टाप–बाक्स के संक्रियण प्रभार पर मनोरंजन कर का निर्धारण एवं आरोपण सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) के सन्दर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि :

- विभाग डीटीएच संयोजनों के व्यापक सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य करने और डीटीएच सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं से एकत्र धनराशि का विवरण पत्र/विवरणी प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने में असफल रहा, और इस प्रकार डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर के आरोपण हेतु सही धनराशि के लिए वास्तविक धनराशि का आगणन नहीं किया जा सका।

  संस्तुतिः शासन डीटीएच संयोजनों पर मनोरंजन कर का सही आरोपण के लिये एवं इन संयोजनों का उचित सत्यापन सुनिश्चित किये जाने हेतु आवधिक सर्वेक्षण पर विचार कर सकता है।

- विभाग टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों को अनुज्ञापन शुल्क एवं बैंक गारण्टी जमा करने हेतु बाध्य करने में असफल रहा।

  संस्तुतिः शासन टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों द्वारा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना और अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं वसूली सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है।

- विभाग ने मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित नहीं किया।

  संस्तुतिः शासन मनोरंजन कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित करने पर विचार कर सकता है।

- विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी और आन्तरिक नियन्त्रण के तन्त्र जैसे आन्तरिक लेखापरीक्षा का समयानुसार एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया गया।

  संस्तुतिः शासन यह सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा अपना कार्य नियमित तथा प्रभावशाली ढंग से करती है।

6.5 टेलीविजन रिसीवर एजेन्सियों पर लाइसेंस शुल्क एवं अर्थदण्ड का अनारोपण

वर्ष 2014–15 के लिये 32 टीएसआरए पर अनुज्ञापन शुल्क एवं अर्थदण्ड ₹ 13.04 लाख का न तो निर्धारण हुआ और न ही आरोपण किया गया।

उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3) की धारा–4, उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 12, 16, व 18 (2) एवं उत्तर प्रदेश सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी प्रत्येक प्रकरण में ₹ 25,000 की बैंक गारण्टी के अतिरिक्त जैसा कि **सारणी 6.4 के** कॉलम III में विनिर्दिष्ट दर पर, जो पूर्व में ही वर्णित है, में दिया गया है, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, स्थानीय क्षेत्र में शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी संचालन हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

हमने तीन मनोरंजन कर कार्यालयों के परिशिष्ट–II पंजिका और पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि सम्बन्धित जनपदों में नमूना जाँच किये गये 79 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सियों में से 32 पर नियमानुसार अनुज्ञापन शुल्क एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। इस प्रकार, शासन अनुज्ञापन शुल्क ₹ 5.14 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 7.90 लाख से वंचित रहा।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2015)। उत्तर में विभाग ने बताया कि सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था (नवम्बर 2015)।

(ब) भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग

6.6 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं आश्वस्त कराता है कि निर्धारित प्रणालियाँ भली भाँति कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की संगठनात्मक ढाँचा और इसके लिये नियुक्त कर्मचारियों का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा किस वर्ष में स्थापित हुयी, यह भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिये आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.7

आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा आयोजना)

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2010–11	31	31	26	5	16.13
2011–12	31	31	29	2	6.45
2012–13	31	30	12	18	60.00
2013–14	31	30	14	16	53.33
2014–15	31	13	10	3	23.08

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

यह प्रदर्शित करता है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं है क्योंकि वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कमी 6.45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के मध्य रही। कमी के कारणों को विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा और वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 6.8** में उल्लिखित है।

सारणी 6.8
आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा प्रेक्षण)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2010–11	1,157	51.15	65	5.15	6	0.87	1,216	55.43
2011–12	1,216	55.43	82	10.87	5	2.55	1,293	63.75
2012–13	1,293	63.75	41	4.44	8	3.16	1,326	65.03
2013–14	1,326	65.03	38	7.39	0	0.62	1,364	71.80
2014–15	1,364	71.80	21	5.72	0	0	1,385	77.52

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

विभाग ने बताया कि ₹ 1.25 करोड़ के वसूली की सूचना प्राप्त हुयी है लेकिन उपसमिति द्वारा समाप्त करने के निर्णय नही लिये जाने के कारण इसे सम्मिलित नही किया गया।

6.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 में, विभाग ने ₹ 1,029.28 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2014–15 के दौरान भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित 37 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में रायल्टी के वसूल न किये जाने, खनिज मूल्य के न वसूल किये जाने, शास्ति एवं ब्याज एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 61.39 करोड़ के 134 मामलें प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है जैसा कि **सारणी 6.9** में इंगित किये गये है।

सारणी 6.9
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	रायल्टी की वसूली न किया जाना	42	19.27
2.	पट्टा विलेख निष्पादित न कराये जाने से राजस्व की वसूली का न होना	2	2.84
3.	शास्ति का अनारोपण	8	0.51
4.	खनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	27	22.72
5.	अन्य अनियमिततायें	55	16.05
	योग	**134**	**61.39**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं

वर्ष के दौरान विभाग ने किसी भी प्रकरण में न तो कोई धनराशि स्वीकार किया और न ही वसूली किया।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिसमें ₹ 25.32 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी हैं।

6.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

भू–तत्व एवं खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में अनधिकृत उत्खनन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन न किया जाना, रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न/कम किए जाने और रायल्टी की न/कम वसूली किए जाने के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियाँ हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.10 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

पट्टेदारों ने 2.01 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया। इस प्रकार, पट्टेदारों द्वारा उत्खनित खनिज का मूल्य ₹ 3.08 करोड़ पट्टेदारों से वसूली योग्य था।

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली, 1963 यथा संशोधित के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। नियम 34(3) प्राविधानित करता है कि उपनियम 2 मे अभिदिष्ट खनन योजना खनिज परिहार नियमावली, 1960 के उपबन्धों के अनुरूप भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त किसी योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22–क में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है।

खान अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही निस्तारित कर दिया गया है, का खनिज मूल्य रायल्टी के साथ वसूल कर सकती है। अग्रेतर उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत कुल रायल्टी खनिज के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

हमने फैजाबाद एवं गाजीपुर के जि0खा0का0 के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच की (जुलाई 2014) और देखा कि सभी सात प्रकरणों में पट्टेदारों ने जनवरी 2013 से जून 2014 के मध्य 2.01 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 61.59 लाख रायल्टी के रूप में भुगतान किया। इस प्रकार, पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 3.08 करोड़ पट्टेदारों से वसूली योग्य था। पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया, जिसके लिये जि0खा0का0 द्वारा पट्टाधारकों को एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया जिसे उन्होनें आगे उपखनिजों को ट्रकों या अन्य परिवहन के साधनों से पारेषित करने हेतु निर्गत किया।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (सितम्बर 2014 तथा फरवरी 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। उत्तर में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011–12 के प्रस्तर 6.12.1 के सम्बन्ध में 18 सितम्बर 2014 को दिये गये अपने पहले के उत्तर का सन्दर्भ दिया, जिसमे विभाग ने सभी जिलाधिकारियों एवं जि0खा0का0 को निर्देशित किया था कि बिना स्वीकृत खनन योजना के कोई खनन संक्रिया अनुमन्य न किया जाय। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि निर्देशों के निर्गत किये जाने के पश्चात भी बिना स्वीकृत खनन योजना के खनन संक्रिया जारी रही (नवम्बर 2015)।

6.11 शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना

शासनादेशों ने कार्यदायी संस्थाओं को इस प्रकार के प्रकरणों में जहाँ पास के रूप में प्रपत्र एम0 एम0–11 के बिना उप खनिजों की आपूर्ति की गयी हो, से केवल रायल्टी वसूल करने के लिये अधिकृत किया था जबकि खान अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट है कि पास के अभाव में खनिज मूल्य की वसूली तथा शास्ति का आरोपण अनिवार्य है। इसने शासन को खनिज मूल्य के ₹ 13.20 करोड़ और शास्ति के ₹ 77.75 लाख से वंचित कर दिया।

खान अधिनियम की धारा 4(1–क) एवम् धारा 21(1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 70(1) प्रावधानित करता है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0–11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0–11 के बिना, रेलवे को छोड़कर किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे छः माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड जो ₹ 25,000 तक हो सकता है या दोनों जैसा कि शासनादेश संख्या 7338/86– 2011–183/2011 लखनऊः दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया, का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/77–5–2001–2002/77 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77–5/2006–506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 प्राविधानित करता है कि अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजों की आपूर्ति बिना एम0एम0–11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

हमने 16 जि0खा0का0 में विवरणी एवं कोषागार पत्रक की (जून 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) जाँच की और देखा कि कार्यदायी संस्थाओं ने 311 निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने बिल के साथ उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के एम0एम0–11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में कार्यदायी संस्थाओं ने बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और ₹ 2.64 करोड़ रायल्टी के एवज में जमा किया।

हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि शासनादेश के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0–11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में केवल रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण अनिवार्य है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश मौन है, अतः ये आरोपित एवं वसूल नहीं किये जा रहे हैं। अकेले 16 जि0खा0का0 के उपरोक्त प्रकरणों में ही अधिनियम के अनुसार खनिज मूल्य के ₹ 13.20 करोड़ के अतिरिक्त अवैध परिवहन का अर्थदण्ड ₹ 77.75 लाख आरोपणीय था, जैसा कि **परिशिष्ट–XXIV** दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को (जून 2014 तथा मई 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेशों

के अनुसार कार्यवाही की है। विभाग ने हमारे विशेष प्रेक्षण जो कि खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशो की विसंगति पर है, का उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है, के बिना निर्गत किये गये। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि, बिना वैध एम0 एम0–11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को भी शासनादेश में ध्यान में नहीं रखा गया। खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की विसंगति ने एक रिक्तता छोड़ दी जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोधक नहीं है (नवम्बर 2015)।

हम अपने पहले के प्रतिवेदनों मे भी संस्तुति कर चुके हैं कि शासन अपने शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप पुनरीक्षित करने पर विचार करे।

6.12 पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन नही किया जाना

जैसा निर्धारित है कि एक एकड़ या अधिक क्षेत्रफल में खनन करने वाले खनन पट्टाधारक अपने स्वयं के खर्च पर प्रति एकड़ 200 पेड़ लगायेगा। 41 पट्टाधारकों के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिले। चूँकि पट्टा धारकों ने पट्टे की प्रावधानों का उल्लंघन किया था इसलिये उल्लंघन के लिये न्यूनतम जुर्माना ₹ 41 लाख आरोपित नहीं किया गया।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अनुसार जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों या इसके अधीन जारी आदेशों या दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के सम्बन्ध में एक अवधि तक कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने की धनराशि जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो से दण्डनीय होगा और यदि इस तरह की विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो पांच हजार रुपये प्रतिदिन, नयी विफलता या उल्लंघन के लिये दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के दौरान के लिये हो सकता है। खनन योजना न केवल नियोजित और वैज्ञानिक खनन के लिये बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये भी आवश्यक है। शासन ने आदेश सं0 1483(1)/14–2–08–65/2008–टी0 सी0 दिनांक 4 जून 2008 के द्वारा खनन पट्टे में वृक्षारोपण की शर्त जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इस शर्त के अनुसार खनन पट्टाधारक एक एकड़ अथवा अधिक क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है वह अपने स्वयं के खर्च पर प्रति एकड़ 200 वृक्ष लगायेगा।

हमने इलाहाबाद के जि0खा0का0 के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच की (फरवरी 2015) और देखा कि मार्च 2014 से जनवरी 2015 के मध्य सभी 41 पट्टाधारकों द्वारा पत्थर की गिट्टी का खनन किया गया। पट्टे की शर्त के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य था। सभी 41 पट्टाधारकों के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिले। जि0खा0अ0 ने पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने न तो इन खनन संक्रियाओं को बन्द कराया और न ही आवश्यक शास्ति का आरोपण किया। उल्लंघन के लिये न्यूनतम एक लाख रुपये प्रत्येक पट्टाधारक पर आरोपणीय ₹ 41 लाख आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के उल्लंघन के दौरान अतिरिक्त जुर्माना

जो ₹ 5,000 प्रति दिन तक हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अधीन आरोपणीय है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2015 तथा जून 2015)। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 में वृक्षारोपण न करने के लिये अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुपालन के लिये खनन पट्टों में वृक्षारोपण के लिये जून 2008 में शासनादेश निर्गत किया था।

6.13 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न/कम प्रभारण

2011–12 से 2013–14 की अवधि के लिये 185 ईंट भट्ठा मालिकों ने औसत 2 से 462 दिनों के विलम्ब से रायल्टी के ₹ 93.06 लाख जमा किये। विभाग ने ₹ 6.73 लाख के विरुद्ध ₹ 1.18 लाख ब्याज वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.55 लाख के ब्याज के न/कम प्रभारित हुआ।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) प्राधिनित करता है कि 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने के बाद किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। शासन ने ईंट भट्टा मालिकों पर रायल्टी के आरोपण और उस पर प्रभारणीय ब्याज के लिये समय समय पर एक मुश्त समाधान योजना जारी की है।

हमने (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) चार जि0खा0का0 में ईंट भट्ठा पंजिका और सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच की और देखा कि 2011–12 से 2013–14 की अवधि के लिये दौरान कुल नमूना जाँच किये 959 में से 185 ईंट भट्ठा स्वामियों ने ₹ 93.06 लाख की रायल्टी औसत दो से 462 दिनों के विलम्ब से जमा की। विभाग ने ₹ 6.73 लाख के ब्याज के विरुद्ध ₹ 1.18 लाख वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के ₹ 5.55 लाख का न/कम प्रभारण हुआ। विवरण **सारणी 6.10** में दिया गया है।

सारणी 6.10

रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	देय और जमा धनराशि	प्रभारणीय ब्याज	प्राप्त ब्याज	अन्तर	विलम्ब की अवधि दिनों में
1	जि0 खा0 का0 इलाहाबाद	2013–14	56	30,94,200	2,09,456	0	2,09,456	3 से 332
2	जि0 खा0 का0 औरैया	2012–13	29	15,63,300	1,67,212	1,08,918	58,294	4 से 371
		2013–14	11	8,89,650	15,190	3,152	12,038	9 से 73
3	जि0 खा0 का0 सन्त कबीर नगर	2013–14	39	15,70,050	1,00,178	0	1,00,178	24 से 311
4	जि0 खा0 का0 सन्त रवि दास नगर	2011–12	14	4,85,100	97,846	400	97,446	54 से 462
		2012–13	32	14,90,500	70,914	5,850	65,064	9 से 361
		2013–14	4	2,13,250	12,383	0	12,383	2 से 192
योग			**185**	**93,06,050**	**6,73,179**	**1,18,320**	**5,54,859**	**2 से 462**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयो से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

6.14 ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी और अनुज्ञा फीस की वसूली न किया जाना

1,430 ईंट भट्ठा स्वामियों ने 2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिये कोई रायल्टी और अनुज्ञा शुल्क नहीं अदा किया यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 6.55 करोड़ और अनुज्ञा शुल्क ₹ 28.60 लाख की वसूली नहीं हुयी।

समय समय पर सरकार द्वारा घोषित की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) के अनुसार ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 2,000 प्रति ईंट भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित है। अग्रेतर, ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की समेकित धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 के अनुसार किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है। 2 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार रायल्टी की नई दर ₹ 27 प्रति हजार ईंट है।

हमने (मई 2014 और मार्च 2015 के मध्य) 16 जि0खा0का0 में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि अक्टूबर 2011 से मार्च 2015 के दौरान कुल नमूना जाँच किये 3,074 ईंट भट्ठे में से 1,430 (श्रेणी अः 160, श्रेणी बः 370 और श्रेणी सः 900) संचालित थे। यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था फिर भी 2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिये इन ईंट भट्ठा स्वामियों ने कोई रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना पत्र शुल्क नहीं अदा किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों (जि0खा0अ0) द्वारा न तो उनके व्यवसाय को रोकने और न ही देय रायल्टी ₹ 6.55 करोड़ और अनुज्ञा शुल्क ₹ 28.60 लाख वसूलने की कार्यवाही शुरू की गयी। विवरण **परिशिष्ट–XXV** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2014 से जून 2015)। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति कार्यालयो से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

6.15 ईंट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण

628 ईंट भट्टा मालिको ने संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 2.93 करोड़ जमा करने के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर ₹ 1.96 करोड़ की रायल्टी जमा किया। इसके परिणामस्वरूप ईट बनाने में प्रयुक्त मिट्टी पर ₹ 96.51 लाख रायल्टी कम आरोपित हुयी।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21 के अनुसार रायल्टी समय समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी और अपरिहार्य भाटक की दरों में दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी शासनादेश सं0 2974/86–2012–200/77 टी0सी0 II लखनऊ द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2012 से संशोधन कर दिया गया है। ईंट बनाने की मिट्टी के लिये दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी रायल्टी की दर ₹ 18 प्रति हजार से ₹ 27 प्रति हजार संशोधित कर दिया गया था।

हमने 12 जि0खा0का0 की ईंट भट्टा पत्रावली की जाँच (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य) की और देखा कि विभाग ने मार्च 2012 से फरवरी 2015 की अवधि के दौरान कुल नमूना जाँच किये गये 2,232 प्रकरणों में से 628 में संशोधित दर से रायल्टी का आरोपण नहीं किया। ईंट भट्टा मालिकों द्वारा ₹ 2.93 करोड़ रायल्टी संशोधित दर पर

जमा करने के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर ₹ 1.96 करोड़ की रायल्टी जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 96.51 लाख कम आरोपित हुयी जैसा कि **परिशिष्ट–XXVI** में प्रदर्शित है।

हमने मामले को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित (जून 2014 से जून 2015 के मध्य) किया। उत्तर में विभाग ने हमारे प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की अद्यतन स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा रही है (नवम्बर 2015)।

विनीता मिश्रा

लखनऊ
25 जनवरी 2016

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
27 जनवरी 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक